राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
एन.एच.एम.भवन लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी भोपाल(462003)

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./सेल–1 /2021/ 719 भोपाल, दिनांक 05/10/2021

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विज्ञप्ति कमांक 10026 दिनांक 11/09/2019 द्वारा आर.बी.एस.के. कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा दंत शल्य चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे।

समसंख्यक आदेश क्रमांक क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./सेल–1 /2021/ 286, दिनांक 06/01/2021 द्वारा संविदा दंतशल्य चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये थे एवं उसी अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–07– 37/2021/आ.प्र.एक दिनांक 2/09/2021 द्वारा अन्य पिछड़ावर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षित रखे गये पदों को भरने हेतु दिये गये अभिमत एवं न्यायालय आदेश के पालन में संविदा दंतशल्य चिकित्सकों के अन्य पिछड़ावर्ग हेतु आरक्षित रखे गये 13 प्रतिशत पदों को भरा जा रहा है।

संविदा दंत शल्य चिकित्सकों के आरक्षित रखे गये रिक्त पद हेतु एम.पी. ऑनलाईन से मेरिट आधार पर पात्र उम्मीद्वारों की सूची प्राप्त कर संविदा दंत शल्य चिकित्सकों के पद पर मासिक मानदेय 30,000/– प्रतिमाह के आधार पर निम्नानुसार संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

S.N	App_no	Dr_Name	Father_ Name	alloted gender	Gender	rank	Alloted_ Caste_ Name	applied_ Caste_ Name	Alloted Insitution Name
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TP001190000619	Dr. SIDDHARTH VERM	MADAN MOHAN VERMA	OP	M	34	OBC (Non-Creamy Layer)	OBC (Non-Creamy Layer)	(DEIC) DH Panna
2	TP001190021172	Dr. PRINCE SONI	MUKESH SONI	OP	M	36	OBC(Non -Creamy Layer)	OBC (Non -Creamy Layer)	(DEIC) DH Khandwa
3	TP001190021678	Dr. GARIMA SINGH	CHIRANJEET SINGH	OP	F	57	OBC (Non-Creamy Layer)	OBC (Non-Creamy Layer)	(DEIC) DH Shivapuri
4	TP001190002787	Dr. AMRITA YADAV	MATHUR A LAL YADAV	F	F	64	OBC(Non -Creamy Layer)	OBC (Non-Creamy Layer)	(DEIC) DH Agar malwa
5	TP001190003020	Dr.SONAL RAJPUT	DILIP RAJPUT	F	F	68	OBC(Non -Creamy Layer)	OBC(Non-Creamy Layer)	(DEIC) DH Bhind

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. **संविदा सेवा की शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल वर्ष–2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।**
2. **संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2022) के लिये अनुबंध होगा।**
3. **वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।**
4. **संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होगें।**
5. **संविदा दंत शल्य चिकित्सक को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त माना जायेगा।**
6. **संविदा दंत शल्य चिकित्सक को उपस्थिति पश्चात 07 दिवस के अन्दर जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**
7. **यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा दंत शल्य चिकित्सक द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।**

8. संविदा दंत शल्य चिकित्सक द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंधपत्र (जिसकी राशि मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी) पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
9. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच– नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।
10. अनुबंध उपरांत संविदा दंतशल्य चिकित्सक को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा दंतशल्य चिकित्सक को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना कदाचार माना जायेगा।
12. संविदा दंतशल्य चिकित्सक द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. संविदा दंतशल्य चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगे।
14. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा दंतशल्य चिकित्सक द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क/एनएचएम/एच.आर./स.नि./सेल–1/2021/719 भोपाल, दिनांक–05/10/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति पन्ना/खण्डवा/शिवपुरी/आगरमालवा/ भिण्ड मध्यप्रदेश।
5. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,एन.एच.एम. म.प्र.।
6. संचालक, एनएचएम,मध्यप्रदेश।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं सागर/इन्दौर/ग्वालियर/उज्जैन,म.प्र.।
8. उप संचालक, मानव संसाधन/लीगल,/आर.बी.एस.के. एनएचएम मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. पन्ना/खण्डवा/शिवपुरी/आगरमालवा/ भिण्ड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित दंतशल्य चिकित्सक के उपस्थिति उपरान्त दस्तावेज मिलान की सुविधा हेतू पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से यू.आर.एल. लिंक भेजी जा रही है। यू.आर.एल. के माध्यम संबंधित अभ्यर्थी के एप्लीकेशन नंबर एवं जन्मतिथि प्रविष्ट कर दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अपलोड किये दस्तावेज है। इन दस्तावेजों का मिलान संविदा दंतशल्य चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करना सुनिश्चित करें एवं मूल दस्तोवजों की प्रमाणिकता भी देखी जावें। यह विशेष उल्लेखनीय है कि यू.आर.एल. केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए है, जिसकी उपयोग की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी साथ ही संविदा दंतशल्य चिकित्सक की कार्य पर उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पन्ना/खण्डवा/शिवपुरी/आगरमालवा/ भिण्ड मध्यप्रदेश।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, डीबी मॉल, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर अपलोड करें एवं संबंधित को तामिल करावें तथा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यू.आर.एल. लिंक भेजे ।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, पन्ना/खण्डवा/शिवपुरी/आगरमालवा/ भिण्ड मध्यप्रदेश।
14. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश